न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद संख्या– M–20 / 2017, धारा–107 द०प्र०सं०

अखिलेश महतो.....प्रथम पक्ष।

बनाम

चंदन महतो वगैरह.....द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश
22 / 09 / 2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या–04 / 17 दिनांक–10 / 02 / 17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक–दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद तमाड़ थाना काण्ड संख्या–9 / 17, दिनांक–05 / 02 / 17 धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 379 भा0द0वि0 को लेकर उभय पक्ष में हुए तनाव के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही:– गवाह संख्या–01 प्रथम पक्ष की ओर से बबलू प्रसाद साहू ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दोनों पक्षों के बीच माह फरवरी में सरस्वती पूजा के विसर्जन में झगड़ा हुआ था, घटना के बाद उभय पक्षों के बीच झगड़ा–झंझट होते रहता है। मैं देखा नहीं हूँ, केवल सूना हूँ। उभय पक्ष के मार–पीट के समय मैं वहाँ था, विसर्जन देख रहा था। प्रथम पक्ष को कौन–कौन मार रहा था, उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। घटना के संबंध में जो भी बात बोल रहा हूँ, तो सुना हुआ बात बोल रहा हूँ। गवाह संख्या–02 अखिलेश महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक–04 / 02 / 17 को द्वितीय पक्ष के लोग मेरे साथ मार–पीट किया था। समय 9:30 बजे रात, स्थान–बारेडीह गाँव के काशीनाथ महतो के घर के सामने मारपीट किया था। मारपीट के अलावा 15000 रू0 भी मुझसे लूट लिया था, सिर के दाहिने तरफ एवं पैर के दाहिने तरफ चोट लगी थी। रिम्स रेफर नहीं किया गया था, इसी विवाद से संबंधित राँची में भी केस चल रहा है, पिछला मंगलवार को छोड़कर उससे पहले द्वितीय पक्ष के लोग मुझे धमकी नहीं दिए है।, मुझे कोई डर भय नही है। घटना के बाद द्वितीय पक्ष से कोई मारपीट नहीं हुई है। द्वितीय पक्ष गवाही:– गवाह संख्या–01 दुर्योधन महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरे घर के सामने नाच गाना हो रहा था तब दोनों व्यक्तियों के बीच टक्कर हुआ था, उसे मैं देखा था। दोनों पक्षों के बीच में जब बक–झक हो रहा था तब मैं दोनों को पकड़कर हटा दिया और बाकी द्वितीय पक्ष के सदस्यों से प्रथम पक्ष का कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश महतो का कोई रूपया पैसा चोरी नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष के लोग अखिलेश महतो को मार पीट कर कृ०पृ०उ०

खून नहीं निकाला है। वहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ है, उभय पक्ष के बीच केस के बाद कोई घटना नहीं घटा है, प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से जान का खतरा नहीं है। मेरे सामने में प्रथम पक्ष से मारपीट करते द्वितीय पक्ष को नहीं देखा हूँ।

गवाह संख्या–02

ज्ञान मछुवा ने गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विसर्जन के समय प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष का कोई मारपीट नहीं हुआ था। द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा प्रथम पक्ष को मारते पीटते नहीं देखा हूँ। प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से जान का भय कुछ नहीं है। उभय पक्ष का झंझट कहीं पर नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष को अब धमकी–चमकी नहीं देते है।

गवाह संख्या–03

सुशील मछुवा ने गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विसर्जन के दिन उभय पक्ष में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, रूपया, पैसा की चोरी नहीं हुई थी। प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के लोग अब धमकी–चमकी नहीं देते है।

गवाह संख्या–04

चंदन कुमार महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरे एवं अखिलेश महतो में कोई विवाद या लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। यह केस झूठा है प्रथम पक्ष का पिताजी थाना में चौकीदार है एवं उसका भाई पुलिस में है। इन्हीं लोगों का धौंस दिखा कर केस किया है। हमलोग से अखिलेश को जान का खतरा नहीं है। प्रथम पक्ष को हमलोग धमकी–चमकी, मार–पीट नहीं किए है। सरस्वती पूजा के दिन हमलोग का कोई झगड़ा नहीं हुआ था।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा, अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान के साथ पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रतिवेदित है कि तमाड़ थाना काण्ड संख्या–9/17, दिनांक–05/02/17 के कारण उभय पक्ष में तनाव है। किन्तु वाद के कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाए और न ही शांतिभंग की पुष्टि कर पाए।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापति एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

22/9/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।